

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1982/फाल्गुन 26, 1903
No. 97] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1982/PHALGUNA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

औद्योगिक मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1982

का०आ० 138(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/82—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक
विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 608(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/72, तारीख 18
मिनम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इण्डियन
रबर मैयुफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधग्रहण 17 मिनम्बर,
1977 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह मालोख भी सम्मिलित है, किया गया था,

और भारत सरकार के आदेश सं० का०आ० 638(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/77, तारीख
26 अगस्त 1977 द्वारा उक्त आदेश का 17 मिनम्बर, 1979 तक की और अवधि के लिए
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है विस्तारित किया गया था।

और भारत सरकार के आदेश सं. कां.आ. 520(अ)/18क/आई.डी.आर.ए. 79 तारीख, 17 सितम्बर, 1979 तथा कां.आ. 704(अ)/18क/आई.डी.आर.ए. 81 तारीख 17 सितम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 17 मार्च, 1982 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जोरदार में यह संशोधन है कि उक्त आदेश छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहता रहेगा।

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 17 सितम्बर, 1982 तक छह मास की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा।

[सं. 2/13/80-मो.यू.एस.]

बन्धु किशोर मोदी, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th March, 1982

S.O. 138(E)/18A/IDRA/82.—Whereas, by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 608(E)/18A/IDRA/72, dated the 18th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, has been taken over for a period upto and inclusive of the 17th September, 1977;

And whereas, by the Order of the Government of India No. S.O. 638(E)/18A/IDRA/77, dated the 26th August, 1977 the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 17th September, 1979;

And, whereas, by the Orders of the Government of India No. S.O. 520(E)/18A/IDRA/79, dated the 17th September, 1979 and S.O. 704(E)/18A/IDRA/81 dated the 17th September, 1981, the duration of the said Order was further extended for a further period upto and inclusive of the 17th March, 1982.

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by proviso of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of six months, upto and inclusive of the 17th September, 1982.

[No. 2/13/80/CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982